श्री आनंद शर्मा, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी अनुसार।

उपस्थिति की समीक्षा के दौरान निर्णय लिया गया कि आगामी तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति से पदच्युत करने की कार्रवाई की जायेगी।

बैठक के प्रारंभिक अवधि में उपस्थित पंडा द्वारा बताया गया कि गर्भगृह में पूजा-अर्चना करने हेतु आगत श्रद्धालुओं के हाथ-पैर धोने के लिए एक अलग नल की व्यवस्था की जाय। साथ ही, अवगत कराया गया कि पूर्व बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में कुछ ही पंडा का पहचान पत्र निर्गत किया गया है, जिसके कारण पूजा कराने में परेशानी होती है। पूजा-अर्चना के दौरान श्रद्धालु द्वारा जो दक्षिणा स्वरूप राशि अथवा वस्त्र दिये जाते हैं वो सभी समिति को जमा करा दिया जाता है जिसका कोई रसीद भी नहीं काटा जाता है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर प्रणाली से निर्गत रसीद के पश्चात् पूजा सम्पन्न नहीं होने के फलस्वरूप उक्त रसीद को रद्द करने की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण रसीद की राशि को पंडा से वसूला जाता है। साथ ही, पुराने वाहनों के पूजा कराने का भी रसीद काटा जाता है। उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने के पश्चात् विधिवत् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति के अन्तर्गत चण्डिका स्थान मंदिर के सफल संचालन एवं बेहतर प्रबंधन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव सं0 01 (वित्तीय प्रतिवेदन) :-

चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति, मुंगेर के आय एवं व्यय का लेखा-जोखा के संबंध में सचिव को निदेश दिया कि 26.06.2015 से 15.07.2018 तक के सम्पूर्ण आय एवं व्यय का कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरित सुस्पष्ट प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे। साथ ही यह जिम्मेवारी निहित की जाती है कि प्रत्येक माह के अन्त तक वित्तीय प्रतिवेदन जिला सामान्य शाखा को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

जिला लेखा पदाधिकारी, मुंगेर को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के नीतिगत पहलुओं की समीक्षा कर वित्तीय शक्ति प्रदत्त करने संबंधी सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। साथ ही मंदिर के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन के दृष्टिकोण में मासिक रूप से अर्जित राशि के औसत की गणना कर निर्बाधित पंडों को वेतन दिये जाने का सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त निदेशित किया गया कि समिति के नाम से संधारित बैंक खाता को निर्बाध चालू रखने हेतु बैंक द्वारा मांग किये गये पैन कार्ड की उपलब्धता हेतु विधिवत् पैन कार्ड बनाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के दौरान सचिव को निदेश दिया गया कि पंजाब नेशनल बैंक शाखा में मंदिर के नाम से संधारित खाता, जिसमें मंदिर परिसर में निर्धारित तालिका अनुसार पूजा-पाठ तथा दानस्वरूप प्राप्त राशि जमा की जाती है, के आलोक में मंदिर परिसर में ही एक पॉश मशीन लगाये जाने हेतु शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को पत्राचार करेंगे। साथ ही प्रत्येक माह उक्त खाता का Bank Statement प्राप्त कर संधारित करेंगे।

बैठक के क्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं द्वारा दान-पेटी में जमा किये गये राशि को नजारत उपसमाहर्त्ता, मुंगेर के समक्ष खोलने हेतु प्रत्येक माह की पहली एवं 16वीं तारीख निर्धारित की जाती है, जिसकी विडियोग्राफी भी करायी जाय तथा विधिवत् पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जाय।

अंकेक्षण :-

बैठक में उपस्थित पूर्व सचिव श्री शिवकुमार रूंगटा द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक तथा 2016-17 में अंकेक्षण कराया गया है। इस संदर्भ में सचिव को निदेश दिया गया कि पिछले 05 वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अंकेक्षण निश्चित रूप से सम्पन्न हो जाय। जिला लेखा पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि विधिवत् अंकेक्षण दल चयनित कर अंकेक्षण कार्य सम्पन्न कराया जाय।

प्रस्ताव सं0 02 (निर्माण/मरम्मति कार्य) :-

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुंगेर मंदिर परिसर का स्थलीय भ्रमण कर आवश्यकतानुसार निर्माण अथवा मरम्मति का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करायेंगे, ताकि उक्त प्रस्ताव को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद्, पटना को भेजा जा सके।

प्रस्ताव सं0-03 (अतिक्रमण) :-

आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंदिर के पश्चिम दिशा एवं चारों तरफ के दिवार एवं अन्दर परिसर, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमित कर लिया गया है, को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु सचिव अपने स्तर से अंचल अधिकारी, सदर, मुंगेर तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर को पत्राचार करेंगे तथा उसकी प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को भेजेंगे।

प्रस्ताव सं0 04 (कार्यरत् कर्मी का चरित्र सत्यापन) :-

सचिव को निदेश दिया गया कि रसीद काटने हेतु कम्प्यूटर शाखा में कार्यरत् सभी कर्मियों का विस्तृत विवरण जिला सामान्य शाखा को उपलब्ध करायेंगे जिसकी प्रति थाना प्रभारी को भेजेंगे। तदोपरान्त थाना प्रभारी उक्त कार्यरत् कर्मियों के चरित्र का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन सचिव एवं जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे।

प्रस्ताव सं0 05 (प्रतिष्ठानों का किराया निर्धारण) :-

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर में अवस्थित दुकानों के किराये का पुनर्निर्धारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर की अध्यक्षता में दल का गठन किया जाय तथा प्रतिष्ठानों से बकाया वसूलनीय किराया की गणना कर वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव सं0 06 (सीसीटीभी):-

बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि मंदिर परिसर के सुरक्षार्थ 08 CCTV कैमरा कार्यरत् है। इसी क्रम में निर्णय लिया गया कि वित्तीय प्रतिवेदन का आकलन करने के पश्चात् मंदिर परिसर में IP Camera लगाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

प्रस्ताव सं0 07 (मंदिर का भूमि विवरण) :-

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को निदेशित किया गया कि माँ चण्डिका मंदिर के भूमि विवरण, यथा-भूमि का प्रकार, खाता, खेसरा, रकवा इत्यादि का प्रतिवेदन जिला सामान्य शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

अन्त में सधन्यवाद कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
-सह-अध्यक्ष,
चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति,
मुंगेर।

ज्ञापांक 1838/सा0, दिनांक 31-08-2018

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर/अंचल अधिकारी, सदर, मुंगेर/पुलिस उपाधीक्षक (मु0), मुंगेर/कार्य0 अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मुंगेर/थानाध्यक्ष, वासुदेवपुर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर एवं चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति, मुंगेर के सभी सदस्यों/प्रमुख पंडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
-सह-अध्यक्ष,
चण्डी स्थान धार्मिक न्यास समिति,
मुंगेर।